न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–131/2002

लालमुनी नेशा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

गुफरान आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

20.07.2022 उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.06.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 व दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर सुना।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी शेख बहरूल की मृत्यु दिनांक 06.05.2021 में हो गई है तथा वे अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी, चार पुत्र तथा एक पुत्री को विधिक वारिसान के रूप में छोड़कर मरे हैं। कोरोना महामारी के कारण समय से आवेदन नही दाखिल किया जा सका तथा विलंब को माफ करते हुए उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि है कि प्रतिवादी शेख बहरूल का नाम वादपत्र से कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका मौखिक विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि प्रस्तुत आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी शेख बहरूल का मृत्यु हो गई है तथा अपने पीछे वे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को अपने विधिक वारिसान के रूप में छोडकर मरें है। जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत आवेदन इनके द्वारा विलंब से दाखिल किया गया है, किन्तु विलंब को माफ करने का निवेदन किया गया है। ऐसी दशा में न्याय हित में विलंब को माफ करते हुए वादी द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी शेख बदरूल का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उसके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। साथ ही मृत प्रतिवादी शेख बदरूल के विरूद्ध यदि कोई उपसमन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु अभिलेख दिनांक 05.08.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)